न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–02 / 2025 दायर दिनांकः 09.01.2025

GCMS NO:- 2025/15 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

प्रेमबाई पत्नी स्व. मोती जाति मीना नि0 मोतीपुरा तहसील नैनवॉ वगै0। (कुल 02)

– प्रार्थीगण

बनाम

ओमप्रकाश आ0 मोती जाति मीना नि0 मोतीपुरा तहसील नैनवॉ वगै0। (कुल 17)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार साहू।

अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 16 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर।

निर्णय दिनांक 20.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मोतीपुरा मे खसरा नम्बर 27 रकबा 1.3753 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका बहमी विभाजन वर्षो पूर्व 50 वर्ष पूर्व हो रहा है जिसमे खसरा नम्बर 27 प्रार्थीया प्रेमबाई के हिस्से 1/3 भूमि आई थी जिस पर प्रेमबाई काबिज चली आ रही है।

यह कि उक्त भूमि पर जाने का एकमात्र अर्वाचीन रास्ता जो सैंकडो वर्षो से चला आ रहा है जो खसरा नम्बर 964 नदी के पास खसरा नम्बर 29 सिवायचक भूमि मे होकर खसरा नम्बर 27 पर पहुंचता है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता खसरा नम्बर 27 पर पहुंचने का नही है तथा उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 16 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है कि वे खसरा नम्बर 29 व 1255/1238 मे होकर जाने वाले रास्ते को अवरूद्व करें परन्तु उनके मन मे बदनियती आ गयी जिससे उन्होने 02.01.2025 को उक्त रास्ते को अवरूद्व कर दिया तथा भूमि को खुदवाकर गहरा कर दिया। रास्ते मे खड्डा खोदकर रास्ते को बंद कर दिया ताकि प्रार्थीगण का ट्रेक्टर नही जा पाये। बदनियती पूर्वक सिवायचक भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीगणों ने मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमादा हो रहे है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 मे वर्णित भूमि एवं परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 27 मे पहुंचने का रास्ता घोषित करवाकर रास्ते को 20 फीट चौडा करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 27 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ